Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी : मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : **29/ 2013** दायर तारीख : **11.01.2013**

1. नाथू लाल
2. छोटे लाल

पिता राधेश्याम, जिला सिलावट (ब्राहम्ण) निवासी छींतोली, तहसील विराटनगर, जयपुर

—— वादीगण

बनाम

1. औम प्रकाश पुत्र नारायण जाति सिलावट (ब्राहम्ण) निवासी छींतोली तहसील विराटनगर, विराटनगर
2. मांगी पुत्री नारायण पत्नि गोकुल चन्द शर्मा, निवासी थानागाजी, देवेन्द्र मूर्ति कला केन्द्र बस स्टेण्ड तहसील थानागाजी, जिला अलवर।
3. कोकिला पुत्री नारायण पत्नि रोहिताश शर्मा, जाति सिलावट निवासी म.नं. 1652 रायसर प्लाजा के सामने, बाबा हरिशचन्द्र मार्ग, जयपुर।
4. सुमित्रा उर्फ संतरा पुत्री नारायण पत्नि अशोक शर्मा निवासी म.नं. 1512 नुतन भवन बाबा हरिशचन्द्र मार्ग जयपुर।
5. कृष्णा पुत्री नारायण पत्नि बाबूलाल निवासी आशा का बांस रामपुरा चौहानों का तहसील बानसूर जिला अलवर।
6. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जयपुर।

—— प्रतिवादीगण

8. प्रभाती पुत्री राधेश्याम जाति सिलावट ब्राहम्ण निवासी छींतोली तहसील विराटनगर

—— तरतीबी प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : – श्री आनन्दसिंह शेखावत अधिवक्ता वादीगण
श्री मातादीन शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1, 3, 4, 5
श्री रामकरण जाट, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 02.02.2018

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बहरमपुर के हाल खसरा नम्बर 100/0.53, 101/0.90, 102/0.32, 104/0.57,

123/0.12, 154/0.13 हैक्टेयर किता 6 रकबा 2.57 हैक्टेयर प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एवं अन्य सहखातेदारों की पैतृक खातेदारी भूमि रही है। प्रार्थीगण, तरतीबी अप्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के बुजुर्ग आपस में सगे भाई थे एवं वरवक्त लागू होने टीनेन्सी एक्ट एक जगह ही शामिल में रहकर काश्त करते थे। उभय पक्ष के बुजुर्ग हरभगत के पांच लडके रामसहाय, रूडलम, छींतर, नारायण व राधेश्याम हुए। रामसहाय पुरानी पैमाईश के पूर्व ही फौत हो गया था, जिससे खातेदारी घीसाराम पुत्र रामसहाय के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। हाल खसरा नम्बर 100/0.53 हैक्टेयर के साबिक खसरा नम्बर 84, 85, 86, 87, 88 मिन रहे है, हाल खसरा नम्बर 102/0.32 हैक्टेयर के साबिक खसरा नम्बर 83 मि., हाल खसरा नम्बर 104/0.57 हैक्टेयर के साबिक खसरा नम्बर 83, 84 मि., हाल खसरा नम्बर 123/0.12 हैक्टेयर के साबिक खसरा नम्बर 72, 71, 89 मि. व हाल खसरा नम्बर 154/0.13 हैक्टेयर के साबिक खसरा नम्बर 87, 88 मि. रहे है, जिनकी खातेदारी परिवार में बडा होने से वरवक्त लागू होने टीनेन्सी एक्ट घीसा वल्द रामसहाय के नाम दर्ज थी, परन्तु उक्त आराजी की काश्त हिस्सा 1/2 पर छींतर पुत्र हरभगत का एवं हिस्सा 1/2 पर नारायण, राधेश्याम पिता हरभगत करते थे। नारायण व राधेश्याम शामिल मे काश्त करते थे, नारायण घर मे बडा था और राजकाज देखता था, ने छींतर के साथ घींसा से साबिक खसरा नम्बर 83 रकबा 3 बीघा 1 बिसवा, 84 रकबा 2 बीघा 5 बिसवा, 85 रकबा 14 बिसवा, 86 रकबा 1 बीघा 8 बिसवा, 87 रकबा 15 बिसवा, 88 रकबा 1 बीघा 11 बिसवा कुल किता 6 कुल रकबा 9 बीघा 14 बिसवा की खातेदारी जरिए रजिस्ट्री अपने नाम कराली, जिसमें नारायण, राधेश्याम दोनो की संयुक्त कमाई का पैसा खर्च हुआ है। अप्रार्थीगण नारायण के वारिस है के फौतगी नामान्तकरण के आधार पर विरासत खाता खुलने से खातेदारी आई है, जिस पर प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी आज भी काबिज होकर काश्त कर रहे है। खसरा नम्बर 100/0.53, 101/0.90, 102/0.32, 104/0.57, 123/0.12, 154/0.13 हैक्टेयर किता 6 रकबा 2.57 हैक्टेयर के हिस्सा 1/2 जो अप्रार्थी सं॰ 1 लगायत 5 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है के हिस्सा 1/2 यानी सम्पूर्ण खाते के हिस्सा 1/4 पर प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण के बुजुर्ग राधेश्याम एवं नारायण के वरवक्त लागू होने टीनेन्सी एक्ट शामिल मे काश्त करने से संवत् 2018 की जमाबन्दी में कृषक के कॉलम में खाता सं. 5 मे खातेदार घीस्या वल्द रामसहाय के नीचे कृषक छींतर वल्द हरभगत हिस्सा 1/2, नारायण, राधेश्याम हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड रहा है एवं खसरा गिरदावरी संवत् 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 एवं 2032 में प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी के बुजुर्ग राधेश्याम का नाम नारायण के साथ दर्ज रिकार्ड रहा है। अप्रार्थीगण,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नारायण के वारिसान नारायण के जीवनकाल से लेकर आज तक प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के बुजुर्ग राधेश्याम के कब्जे काश्त को मान्यता देते आ रहे है, जिससे अब प्रार्थीगण के कब्जे काश्त के विपरीत कुछ भी कहने एवं करने से प्रींसीपल ऑफ एस्टोपल एण्ड एक्वीसेंस से एस्टोप्ड है। प्रस्तुत दस्तावेजात पर प्रार्थीगण का केस प्रथम दृष्टया बखूबी साबित है, सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में एवं भूमि को रहन बय विक्रय एवं अन्तरण करने से अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही कारित होने का अंदेशा है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम बहरमपुर के खसरा नम्बर 100, 101, 102, 104, 123, 154 किता 6 रकबा 2.57 हैक्टेयर पर प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी को इनके हक अधिकार हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर खुद कब्जा नहीं करें, शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करने देवें, आराजी मुतनाजा को रहन बय विक्रय अंतरण पंजीयन नहीं करें, न ही करावें। मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।
3. अप्रार्थी सं॰ 1 व 3 लगायत 5 का जवाब रहा कि आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि नहीं रही है, बल्कि अप्रार्थी सं॰ 1 लगायत 5 व अन्य सहखातेदारी की भूमि रही है। यह सही है कि प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी व अप्रार्थीगण के बुजुर्ग आपस में सगे भाई है, परन्तु अलग–अलग रहते थे। प्रार्थीगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में एडवर्स पजेशन के तात्विक तथ्यों का उल्लेख नहीं किया है, इस कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।
4. अप्रार्थी सं॰ 2 का जवाब रहा कि आराजी मुतनाजा का हिस्सा 1/2 अप्रार्थी के पिता नारायण का खरीदशुदा खातेदारी मे है, जो साबिक आराजी के मूल खातेदार घीसा पुत्र रामसहाय से कुल किता 6 रकबा 09 बीघा 14 बिसवा का 1/2 हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय बयनामा दिनांक 16.03.64 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। शेष 1/2 हिस्सा छींतर का चला आ रहा है। मिन अप्रार्थी नारायणसहाय की पुत्री है, जिसका विवादित आराजी में हक हिस्सा खातेदारी का जन्म से निहीत चला आ रहा है। इस प्रकार विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा अप्रार्थी के पिता का पैतृक एवं 1/2 हिस्सा खरीदशुदा से चला आ रहा है। इस प्रकार विवादित आराजी में नारायणसहाय का 1/2 हिस्सा चला आ रहा है, जिसकी मिन अप्रार्थी 1/10 हिस्सा की काबिज काश्तकार खातेदार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 87 संवत् 2065–2068, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 14 संवत् 2065–2068, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 18 संवत् 2018, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 5 संवत् 2022, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 8 संवत् 2022, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 7, 8 संवत् 2026, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 3 संवत् 2034–37, नकल मिलान क्षेत्रफल, हाल खतौनी बन्दोबस्त संवत् 20320, नकल नामान्तकरण संख्या 40, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2012–2015, 2016–2017, 2018–2019, 2031–2034 आदि पेश किये।
6. बहस प्रार्थना पत्र वकुलाय सुनी गई।
7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, विधि के सुसंगत प्रावधानों, प्रस्तुत वादपत्र का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय पर मनन किया गया।

अ. **प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति क्षति :–** प्रार्थीगण ने दावा पैतृक सम्पत्ति होने एवं प्रार्थीगण के पिता राधेश्याम व अप्रार्थीगण के बुजुर्ग नारायण के शामिल मे रहते हुए नारायण के नाम से रजिस्ट्री करवाने एवं रजिस्ट्री का खर्चा नारायण व राधेश्याम दोनो द्वारा वहन करने के आधार पर पेश है, जिसके समर्थन में रामेश्वर पुत्र रूडमल उम्र 87 वर्ष, गोकुल चन्द पुत्र छींतर उम्र 86 वर्ष, सुरजमल पुत्र घींसालाल उम्र 80 वर्ष, हरसहाय पुत्र रामप्रसाद उम्र 75 वर्ष एवं राजेश पुत्र गुलझारी के शपथ पत्र पेश किये है, उक्त सभी व्यक्ति जाति से सिलावट एवं उभय पक्ष के कुटुम्ब परिवार के है। प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के बुजुर्ग आपस मे सगे भाई थे एवं वरवक्त लागू होने टीनेन्सी एक्ट शामिल में रहकर काश्त करते थे। उभय पक्ष हरभगत के पांच लडके बडा रामसहाय, फिर रूडमल, छींतर, नारायण व राधेश्याम थे। रामसहाय पुरानी पमाईश से पूर्व ही फौत हो गया था, जिससे खातेदारी घींसाराम पुत्र रामसहाय के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। उभय पक्षों के मध्य पैतृक सम्पत्ति की खातेदारी को लेकर मूल विवाद है, जिसका उल्लेख वादपत्र में किया गया है तथाकथित रजिस्ट्री दिनांक 16.03.1964 के बाद भी प्रार्थीगण के पिता राधेश्याम के नाम खसरा गिरदावरी हुई है, जिससे रजिस्ट्री बाद भी राधेश्याम द्वारा आराजी मुतनाजा पर काश्त करने की पुष्टि होती है। प्रार्थीगण के बुजुर्ग राधेश्याम व नारायण के वरवक्त लागू होने टीनेन्सी एक्ट शामिल में काश्त करने से संवत् 2018 की जमाबन्दी में कृषक छींतर पुत्र हरभगत हिस्से 1/2, नारायण, राधेश्याम हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड रही है एवं खसरा गिरदावरी संवत् 2011, 2013, 2014, 2016, 2018 एवं 2032 में प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी के बुजुर्ग राधेश्याम का नाम नारायण के साथ दर्ज रिकार्ड रहा है। ऐसे में यह बिन्दु की वादग्रस्त आराजी वादीगण की पैतृक भूमि है या नहीं, यह तथ्य एक विधि का मिश्रित प्रश्न है, जो

तनकियात कायम की जाकर उभय पक्षों की साक्ष्य ली जाकर ही निर्णीत किया जा सकता है। जहां तक अपूर्णनिय क्षति का प्रश्न है यदि अप्रार्थीगण द्वारा दौराने वाद सुनवाई वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर खुद कब्जा करने की कौशिश करते हैं, तो उभय पक्षों में मध्य विवाद बढने एवं कानून व्यवस्था भंग होने का अंदेशा रहेगा या अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा को अन्य किसी को रहन बय विक्रय या अन्तरण करने मे सफल हो जाते हैं, तो राजस्व रिकार्ड की स्थिति परिवर्तित हो जावेगी, जिससे भी पक्षकारान के मध्य अनावश्यक मुकदमेबाजी बढने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत प्रार्थना पत्र के न्यायोचित निर्णय में सहायक बिन्दु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा सन्तुलन एवं नापूर्ति क्षति पर मनन उपरान्त उभयपक्षों को ताफैसला मूल वाद निर्णय अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

आदेश

अतः प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर न्यायहित में उभयपक्षों को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम बहरमपुर के खसरा नम्बर 100, 101, 102, 104, 123, 154 किता 6 रकबा 2.57 हैक्टेयर भूमि की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

आदेश दिनांक 02.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर